फिट्जी कोचिंग के संचालक पांडे की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पहुंची पुलिस

भोपाल (काप्र)।

राजधानी में फिट्जी कोचिंग सेंटर के संचालक केके पांडे की गिरफ्तारी के लिये पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई। अधिकरियो के अनुसार गिरफ्तारी के तीन विशेष टीमें बनाई गई है, इनमें से एक टीम दिल्ली पहुंचकर पांडे के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

वहीं जिला प्रशासन भी फिटजी कोचिंग को सील करने की तैयारी कर रहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एमपी नगर एसडीएम एलके खरे और बैरागढ़ एसडीएम आदित्य जैन को जॉच के आधार नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि फिट्जी कोचिंग सेंटर के संचालक पांडे समेत 4 लोगों पर भोपाल के एमपी नगर थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में 15 दिसंबर को प्रकरण दर्ज किया गया है। यहॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की शिकायत है कि कोचिंग सेंटर अचानक बंद कर दिये गए जिसके कारण हर स्टूडेंट्स द्वारा दिये गये 2 लाख रुपए के हिसाब करोड़ों रुपए हड़प लिये गये हैं। मंगलवार को गुस्साए अभिभावकों ने फिटजी कोचिंग सेंटर के बाहर जमकर नारेबाजी की। अभिभावकों की मांग है कि कोचिंग संस्थान के मालिक डीके गोयल को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उसका बैंक अकाउंट सीज कर अभिभावकों के सारे पैसे लौटाए जाएं। देश भर में दिल्ली की फिटजी कोचिंग की करीब 72 ब्रांच हैं। भोपाल ब्रांच में करीब 700 स्टूडेंट्स के एडमिशन हैं, यहॉ हर स्टूडेंट से 2 से 3 लाख रुपए तक फीस वसूल की जाती है।

जेल के अंदर और बाहर भी सुधार के हों प्रयासः पटेल

भोपाल(काप्र)।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि जेल के अंदर सुधारात्मक सेवाओं के साथ ही जेल के बाहर भी समाज सुधार के प्रयासों की पहल की जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि अपराधों की प्रकृति, परिस्थितियों और स्वरूप के विश्लेषण से प्राप्त जानकारियों के आधार पर समाज के साथ संवाद के कार्यक्रम तैयार करे।

अपराध घटित नहीं हो, इस दिशा में सामुदायिक जनजागृति के प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में गृह, विधि, जेल विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने जेल में शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के द्वारा बंदियों को सुधारने और पुनर्वासित करने के प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के प्रति व्यवस्थाओं की संवेदनशीलता पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि समाज में आपराधिक प्रवृतियों के नियंत्रण के लिए कानून एवं व्यवस्थागत प्रयासों के समानांतर समरस सामाजिक चेतना के लिए कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने

अधिकारियों से अपेक्षा की है कि विभाग द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामुदायिक और आध्यात्मिक नेतृत्व को जोड़ कर वातावरण निर्माण के प्रयास किए जाने चाहिए। बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खाण्डेकर, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के. सी. गुप्ता, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं जी. पी. सिंह, सचिव गृह गौरव राजपूत, राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव, जनजातीय प्रकोष्ठ की सचिव श्रीमती जमुना भिड़े और सदस्य उपस्थित थे।

पेसा एक्ट और सिकल सेल, टी.बी. उन्मूलन कार्यों की समीक्षा

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उपलब्धियां क्रियान्वयन गति को गतिमान करने का संकेत है। उत्साह के साथ नए कीर्तिमान कायम करने की प्रेरणा है। उन्होंने टी.बी. उन्मूलन और सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों में प्रदेश के अग्रणी होने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी। श्री पटेल सिकल सेल, टी.बी. उन्मूलन अभियान और पेसा एक्ट क्रियान्वयन पर संबंधित विभागों के मंत्री एवं अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर मंत्री पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री उच्च शिक्षा, आयुष और तकनीकी शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि सिकल सेल और टीबी रोग उन्मूलन प्रयासों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति और पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों में समन्वय किया जाए। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग सिकल सेल और टी.बी. उपचार में जुड़े। आयुर्वेद और होम्योपैथी के समानांतर उपचार परिणामों का अध्ययन करे। जन औषधि केन्द्रों में उपलब्ध औषधियों के चिकित्सीय उपयोग और दवाओं के बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्धता के संबंध में भी जन जागृति की जाए। उन्होंने स्क्रीनिंग के साथ ही रोगियों और वाहकों को औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उपचार के साथ ही पोषण के लिये आयुष आहार के बारे में सामुदायिक जन-जागृति के प्रयासों को प्रसारित करने की जरूरत बताई है।

बीमारी से डिप्रेशन में आई विवाहिता ने लगाई फांसी

भोपाल(काप्र)। खजूरी सड़क थाना इलाके के एक गांव में रहने वाली विवाहिता ने अपने घर के पास खंडहरनुमा खाली पड़े मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शुरूआती जॉच में मृतका के डायबिटीज की बीमारी को लेकर मानसिक रुप से परेशान होने की बात सामने आई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम भैंसाखेड़ी में रहने वाले बलराम नगर निगम में माली का काम करते हैं। उनके परिवार में पत्नि जमनी बाई (53) गृहिणी थी, वहीं दो बेटो में बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। बीते दिन जमनी बाई घर पर ही काम कर रही थी, उस समय परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। बाद में वह छोटे बेटे से दूध लाने का कहकर घर से बाहर गई थी। लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी, शाम को काम से लौटे बलराम को जब पत्नि नजर नहीं आई तब उसने पूछा तो बेटे ने बताया की मॉ दुध लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। इसके बाद बलराम ने डेयरी पर जाकर पुछताछ की तब पता चला की उनकी पत्नि दूध लेने नहीं पहुंची। परिवार वालो ने उनकी तलाश शुरू की। खोजते हुए परिजन अपने घर के बाजू में खंडहर पड़े मकान में पहुंचे। यहां पर जमनी बाई का शरीर फांसी के फंदे पर लटका नजर आया। परिजनों ने तत्काल ही उन्हें फंदे से उतारकर इलाज के लिये भैंसाखेड़ी स्थित चिरायू अस्पताल पहुंचाया जहॉ डॉक्टरो ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के बाद परिवार वालो को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में परिजनों ने बताया की जमनी बाई डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित थी। बीमारी के कारण वह कई बार चलते-चलते चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। बीमारी को लेकर वह काफी तनाव में रहती थी। आशंका है कि बीमारी से तनाव में आकर ही उन्होनें यह आत्मघाती कदम उठाया होगा।

कार के नीचे पत्थर लगाकर दो पहिए ले भागे चोर

भोपाल(काप्र)। हबीबगंज थाना इलाके में अरेरा कॉलोनी के चित्रगुप्त सोसायटी में चोरों ने एक कार के दो पहिए चुरा लिए। रात के समय अज्ञात आरोपियो ने कार के नीचे पत्थर लगाकर पहिए निकाले और पत्थर लगा छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार मालिक प्रशांत ठाकुर (38) ने बताया की वह प्रायवेट नौकरी करते है। रविवार रात को करीब 11 बजे उन्होंने अपना वाहन घर के बाहर खड़ा किया था। अगली सुबह उन्होंने अपना वाहन देखा तो वाहन के पिछले दोनों पहिए गायब थे, और उनकी कार पत्थरो के सहारे खड़ी थी। आसपास के सीसीटीवी देखने पर दो संदेही बाइक नजर आए है। फिलहाल अज्ञात आरोपियो के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उनकी पहचान जुटाने के प्रयास कर रही है।

बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज

भोपाल (काप्र)। मध्यप्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट'' समारोह के साथ होगा। समारोह का आयोजन राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में सायंकाल 4:30 बजे जहांगीराबाद स्थित लाल परेड मैदान में होगा।

मंगलवार को पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन में सायंकाल बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम की फायनल रिहर्सल की गई। मुख्य अतिथि की भूमिका 7वीं वाहिनी के प्रधान आरक्षक श्री रामचंद्र कुशवाह ने निभाई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसएएफ श्री राकेश गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक एसएएफ श्री इरशाद वली, पुलिस महानिरीक्षक मध्य क्षेत्र एसएएफ सुश्री कृष्णवेणी देसावतु, सेनानी 7वीं वाहिनी श्री हितेश चौधरी सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।

बीटिंग द रिट्रीट'' कार्यक्रम में पुलिस बैण्ड द्वारा कॉन्सर्ट, ब्रास बैण्ड द्वारा डिस्पले तथा पाईप बैण्ड द्वारा संगीतमयी और मनोहारी प्रदर्शन किया जाएगा।

कार्यक्रम की शुरूआत बुधवार 29 जनवरी को शाम 4:30 बजे राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल के आगमन के साथ होगी। फिर पुलिस ब्रास बैण्ड द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी क्लासिकल धुनों के साथ ही नई एवं पुरानी हिन्दी फिल्मों के गानों की संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। पुलिस बैण्ड द्वारा मार्चपास्ट करते हुए बैण्डवार व सामूहिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। बैण्ड प्रदर्शन उपरांत गार्ड द्वारा ध्वजअवरोहण की कार्यवाही उपरांत पिस्टल/एलएमजी फायर, रंगीन लाईटिंग, आतिशबाजी आकर्षण का केन्द्र होगी।

ट्रेन से मोबाइल चोरी कर ऑनलाइन जालसाजी करने वाले गिरफ्तार

भोपाल(काप्र)।

जीआरपी ने दो ऐसे शातिर बदमाशो को दबोचा है, जो ट्रेन में मोबाइल चोरी करते और उस सिम से ऑनलाइन ठगी की वारदातो को अंजाम देते थे। आरोपियो के कब्जे से करीब ढाई लाख का माल जप्त किया गया है।

जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी अमीश ने नागपुर जीआरपी को अपनी शिकायत में बताया था, की बीती 20 दिसंबर 2024 को वह जबलपुर अमरावती एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। ट्रेन के बैतूल से निकलते ही अज्ञात बदमाश ने उनका 15 हजार कीमत का मोबाइल चोरी कर लिया। जांच के बाद केस डायरी आमला जीआरपी को भेजी गई। प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने चोरी हुए पुलिस की लोकेशन ट्रेस करने के साथ ही उसकी सीडीआर निकलवाई। तकनीकी जॉच में सामने आया कि फरियादी के चोरी गये मोबाइल में लगी सिम का उपयोग ऑनलाइन जालसाजी में किया गया है। जीआरपी टीम ने भोपाल साइबर सेल की मदद से हाथ लगे सुरागो के आधार पर ग्राम कलमेशरा थाना सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम स्टेशन से लीलाधार रघुवंशी और दुर्गेश कुशवाह नाम के सदिंग्धो को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियो ने खुलासा किया की उन्होनें ट्रेन से मोबाइल चोरी कर उसकी मिस दूसरे मोबाइल फोन में लगाकर फोन पे के माध्यम से ऑनलाइन रुपए निकालकर जालसाजी की है। आरोपियो ने चोरी की अन्य घटनाओ को भी अंजाम देने की बात स्वीकारी है। उनकी निशानदेही पर टीम ने मोबाइल फोन, सोने चॉदी के जेवरात, नगदी सहित करीब ढाई लाख का माल जप्त किया है। पुलिस बदमाशो का अपराधिक रिकार्ड खंगालने के साथ ही उनसे अन्य घटनाओ के बारे में पूछताछ कर रही है।

नौकरानी ने ही चुराई थी सोने की चेन, गिरफ्तार

भोपाल(काप्र)। कटारा हिल्स थाना इलाके के कस्तूरी रायल पार्क कॉलोनी में रहने वाली महिला कम्प्यूटर ऑपरेटर के घर से दो लाख की कीमत की सोने की दो चेने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने संदेही नौकरानी को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार शीला मोटवानी पत्नी (57) ने शिकायत करते हुए बताया कि वह बीडीए में कम्प्यूटर ऑपरेटर हैं। उनके पति का देहांत हो चुका है। बीती 21 जनवरी की सुबह उनके घर से सोने की दो चेन चोरी हो गईं। इसकी जानकारी उन्हें अगले दिन लगी। उन्होनें पुलिस को बताया की जिस समय चेन चोरी हुई उस समय नौकरानी सीमा घर में काम कर रही थी। प्रकरण दर्ज कर पुलिस संदेही नौकरानी सीमा धुर्वे पति धर्मेन्द्र धुर्वे (32) निवासी ग्राम बर्राइ टावर के पास कटारा हिल्स स्थाई पता ग्राम रजपुरा तह. गैरतगंज जिला रायसेन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो नौकरानी ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन सख्ती बरतने पर उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि काम के दौरान अलमारी में रखे हुए सोने के आभूषणो को देखकर उसके मन मे लालच आ गया था, और मौका पाकर उन्हें चोरी कर लिया था।

परिशिष्ट ट प्रारूप-ण
(नियम 22 (क) (6) देखिए)
धारा 30-क के अधीन भू-खण्डों के विलियन हेतु सार्वजनिक सूचना
क्रमांक BPLLP22112428304/22/JAN / 2025
क्र./1564/नग्रानि/Bhopal दिनांक/ दिनांक 21/01/2025
जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स - ANJUMAN-E-NAJMI DAWOODI BOHRA JAMAAT BURHANI NAGAR BHOPAL THROUGH MR. YUSUF ALI TASNIM जो नगर/ग्राम Nishantpura के खसरा क्रमांक हेतु आदेश क्रमांक LP213 दिनांक 2013-11-24 द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित RESIDENTIAL, SELF RESIDENCE प्रयोजन के भू-खण्ड क्रमांक D14, D15, D16, E14, E15, E16, E17 को स्वामी हैं, और श्री/श्रीमती/मेसर्स-ANJUMAN-E-NAJMI DAWOODI BOHRA JAMAAT BURHANI NAGAR BHOPAL THROUGH MR. YUSUF ALI TASNIM जो नगर Huzur ग्राम Nishantpura के खसरा क्रमांक 7/2/1/1, 7/2/2/1, 7/2/2/2 में स्थित भूमि के हेतु आदेश क्रमांक LP213 दिनांक 2013-11-24 द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित RESIDENTIAL, SELF RESIDENCE प्रयोजन के भू-खण्ड अथवा नगर/ग्राम Nishantpura खसरा क्रमांक 7/2/1/1,7/2/2/17/2/2/2 रकबा 0.049454 भूमि जिसका भूमि उपयोग RESIDENTIAL है, के स्वामी है द्वारा उपरोक्त भू-खण्ड/भू-खण्ड एवं भूमियों के विलियन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति उक्त विलियन के बारे में अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अथवा https://dtcp.mp.gov.in/alpass/web/Objection.aspx?RefApp=5UIi9wC1Qq पर प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा के ब्यौरे तथा मर्जर की जा रही भूमि/भूखण्ड का हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा website https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/uLogin.aspx पर किया जा सकता है।
संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल मध्यप्रदेश,

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंडीदीप जिला-रायसेन
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर 07480-407022 Email-cmomandideep@mpurban.gov.in
क्र/5502/न.पा.प./2025 मंडीदीप, दिनांक 27.01.2025
ई - निविदा सूचना
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईड https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है ।

क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निवदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा की अंतिम तिथि
01	2024_UAD_382469_3	CC RENEWAL COAT WORK AT WARD NO. 15 AT SATLAPUR FROM DURGA KIRANA TO JAGDISH DHAKAD HOUSE MANDIDEEP	2,93,516/-	2,940/-	2,000/-	14.02.2025
02	2024_UAD_382474_3	CONSTRUCTON OF RCC DRAIN AND CROSSING AT WARD NO. 15 AT SATLAPUR FROM MAHAKAL HAIR SALOON TO NARESH CHOKSEY HOUSE AND NEAR OF GEETA HARDWARE MANDIDEEP	1,74,497/-	3,490/-	1,000/-	13.02.2025
03	2025_UAD_398673_1	CONSTRUCTION OF RCC DRAIN FROM HOUSE OF SULTAN D.P. TO SATYANARAYAN PANDIT JI HOUSE AT WARD NO. 07 MANDIDEEP	6,13,346/-	6,140/-	2,000/-	14.02.2025
04	2025_UAD_398688_1	COSTRUCTION OF RCC DRAIN FROM HOUSE OF VIJAY TO RAJENDRA HOUSE AND HOUSE OF PRADEEP TO RAMSWAROOP HOUSE AT WARD NO. 17 SATLAPUR MANDIDEEP	4,89,943/-	4,900/-	2,000/-	14.02.2025
05	2025_UAD_398700_1	CONSTRUCTION OF RCC DRAIN FROM HOUSE OF KAMAL PATEL TO RAJESH HOUSE AT WARD NO. 17 SATLAPUR MANDIDEEP	3,53,848/-	3,540/-	2,000/-	14.02.2025

1. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन बेवसाईट https:// www.mptenders.gov.in पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में नहीं किया जावेगा ।

प्रियंका राजेन्द्र अग्रवाल अध्यक्ष नगरपालिका परिषद मंडीदीप
पुष्पा प्रेमशंकर साहू उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद मंडीदीप
सुधीर उपाध्याय मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मंडीदीप

पश्चिम मध्य रेल
खुली नीलामी
क्रमांक - सडिपुका/भो/इंजी/2025-26, दिनाक 14.01.2025
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु नीलामी में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित है। **कार्य का नामः सडिपुका/भोपाल - चिन्हित स्थल पर उपलब्ध गैर-राष्ट्रीयकृत प्रजातियों के पेड़ो जैसे- सु-बाबुल, बबूल, नीलगिरी और अन्य के मृत, रोगग्रस्त, गिरे हुए पेड़ो की छटाई, कटाई, सफाई एवं निष्पादन संबंध में। अनुमानित मात्राः** 350 मेट्रिक टन। **नीलामी की न्यूनतम दरः** ₹ 116/- प्रति क्विंटल (केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लागू सभी कर छोडकर)। **धरोहर राशिः** ₹ 20,300/-. **कार्य पूर्ण करने की अवधिः** 12 माह। **नीलामी की तारीख एवं समयः** दिनांक 13 फरवरी 2025, समय – 11.00 बजे। नीलामी के बारे में विस्तृत जानकारी, मुख्य कारखाना प्रबन्धक कार्यालय, भोपाल के सूचना – पटल पर उपलब्ध है।
कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक, सवारी डब्बा पुनःनिर्माण कारखाना, भोपाल.
स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम मध्य रेल
विद्युत विभाग(कर्षण-वितरण शाखा) जबलपुर • ई-निविदा सूचना
एन.आई.टी. नं. जबल-टीआरडी-निविदा-2024-34, दिनांक 24.01.2025
वरि. मंडल विद्युत इंजीनियर/कर्षण-वितरण/पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य करने के लिए अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित करते है। ठेकेदारों के पास राज्य सरकार द्वारा जारी विद्युतीय लायसेन्स (फर्म के नाम से या फर्म के किसी पार्टनर के नाम से या स्वयं के नाम में यदि सोल प्रोपराइटर हो) आई.ई. नियम 1956 के अनुसार होना चाहिए। **1. कार्य का नामः (क) जबलपुर डिवीजन में डबल एग्जिट के साथ कछपुरा में अतिरिक्त लोडिंग/अनलोडिंग लाइन के लिए टीआरडी/ओएचई कार्य। (ख) एलसी नंबर 8, 9, 17, 230, 237, 243, 245, 246, 250, 256, 265, 267, 268, 269, 270, 286, 287, 293, 326, 329, 339, 341, 358, 368, 370, 372, 380, 381, 249, 252, जेके-13, जेके-15 और किमी 1187/1-3, किमी 1204 और बंद एलसी नंबर 365 पर एलएचएस के लिए टीआरडी/ओएचई कार्य। 2. कार्य स्थलः** जबलपुर मण्डल। **3. कार्य की अवधिः** 18 माह। **4. कार्य की कीमत (टेंडर वेल्यू): ₹** 3,76,04,702.55 (₹ तीन करोड़ छिहत्तर लाख चार हजार सात सौ दो एवं पचपन पैसे मात्र)। **5. बयाना राशिः ₹** 3,38,000/-. **6. निविदा जमा करने/खुलने की अंतिम तिथि एवं समयः** 24.02.2025, 15.00 बजे/24.02.2025, 15.30 बजे। **7. निविदा सूचना की पूर्ण जानकारी रेल्वे वेबसाईटः https://www.ireps.gov.in. 8.** निविदाकर्ता अपनी निविदाऐं आई आर ई पी एस की माध्यम से **https://www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन निविदा करें। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे समय समय पर बदलाव व शुद्धिपत्रों हेतु IREPS की वेबसाईट **https://www.ireps.gov.in** देखते रहें। न्यूनतम पात्रता मानदण्ड टेण्डर फार्म के अनुसार और ज्वांइन्ट वेन्चर व साझेदारी इस निविदा के लिए लागू होगा।
स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

ICICI Bank
क्षेत्रीय कार्यालय :- आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नं. जेड-14, हीरा कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, एमपी नगर, भोपाल- 462011.
सार्वजनिक सूचना - प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-ई-नीलामी
[नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना
अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय की सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 8(6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है ।
सर्वजन तथा व्यक्तिगत रूप से कर्ज़दार(रों) एवं ज़मानतदार(रों) को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गई अचल संपत्ति संरक्षित ऋणदाता केपास बंधक/ अधिभारित है। उनका भौतिक अधिग्रहण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (संरक्षित ऋणदाता) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कर लिया गया है एवं दर्शाए विवरण अनुसार उनके द्वारा "जहाँ है जैसी है", "जैसी है वैसी है" एवं "जिस भी स्थिति में है" के आधार पर अचल संपत्ति के विक्रय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं :-

क्र. सं.	कर्ज़दार(रों)/ सह-कर्ज़दार(रों)/ ज़मानतदार(रों) के नाम/ ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्तियों का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई है	बकाया राशि (रु. में)	सुरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	मेसर्स एडिफिक इंफ्राबिल्ड इंडिया एलएलपी का प्रतिनिधित्व भागीदारों श्री विजय ओमप्रकाश बंसल, श्रीमती सरोज विजय बंसल और श्री हर्ष बंसल (कर्ज़दार), विजय ओमप्रकाश बंसल, श्रीमती सरोज विजय बंसल (ज़मानतदार) द्वारा 028305003471	चैंबर नं. एस-2, द्वितीय तल, साची कॉम्प्लेक्स, बोर्ड ऑफिस के पास, शिवाजी नगर, तहसील हुज़ूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश- 462016/ क्षेत्रफल- 865.85 वर्ग फीट	रु. 53,18, 857.03/- (जनवरी 02, 2025 तक)	रु. 60,00, 000/- / रु. 6,00,000/-	फ़रवरी 06, 2025 को सु. 11:00 बजे से दोप. 12:30 बजे तक	फ़रवरी 18, 2025 को सु. 11:00 बजे से

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी संस्था **मेसर्स नेक्सझेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** की वेबसाइट **(URL Link- https://disposalhub.com)** पर संचालित होगी। बंधककर्ताओं/ सूचना प्रेषितकर्ताओं को **फ़रवरी 17, 2025** को **शाम 04:00** बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर इस/इन संरक्षित संपत्ति(यों) की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।
संभावित बोलीकर्ता(ओं) को बयाना राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम **ई** देखें) जो **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. जेड-14, हीरा कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, एमपी नगर, भोपाल- 462011** में **फ़रवरी 17, 2025** तक **दोप. 03:00** बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात् वे अपना प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान साक्ष्य अर्थात बैंक डीडी पावती की स्कैन इमेज (छायाप्रति) **फ़रवरी 17, 2025** तक **शाम 04:00** बजे से पूर्व जमा करें। यदि संभावित बोलीकर्ता(ओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल रहते हैं, तो वे **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. जेड-14, हीरा कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, एमपी नगर, भोपाल- 462011** में निविदा प्रलेखों की हस्ताक्षरित प्रति को **फ़रवरी 17, 2025** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक जमा करवा सकते हैं। बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैडूल्ड बैंक द्वारा **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** की **भोपाल** शाखा के पक्ष में भुगतान हेतु होना चाहिए।
संपत्ति निरीक्षण, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआईसीआई बैंक** कर्मचारी के फोन नंबर 9425815565 पर संपर्क करें।
कृपया नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसी **मेसर्स नेक्सझेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** इस संपत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु सलंग्न है।
प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण दर्शाए किसी एक अथवा अधिक निविदा व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट **www.icicibank.com/n4p4s** पर संपर्क करें ।
तिथि : जनवरी 29, 2025
स्थान : भोपाल
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

मध्य रेल
नागपूर मंडल
ई-निविदासूचनाक्र.:एनजीपी-एनसी-सीआर-एसएनटी-सी-एस-01-2025दि.27.01.2025
कार्य का नाम : i) मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन के वर्धा-नागपुर तीसरी और चौथी लाइन के प्रावधान के संबंध में सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सहित इनडोर और आउटडोर सिग्नलिंग कार्य तथा नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (वितरित कॉन्फ़िगरेशन), मौजूदा आरआरआई में परिवर्तन कार्य और नागपुर स्टेशन पर मौजूदा इआई में परिवर्तन कार्य। ii) मध्य रेलवे के नागपुर मंडल की इटारसी-नागपुर तीसरी लाइन के प्रावधान के संबंध में गोधानी पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (वितरित कॉन्फ़िगरेशन) के लिए सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सहित इनडोर और आउटडोर सिग्नलिंग कार्य का प्रावधान। **अनुमानित लागत :** रु. 40,58,89,074.99 **बयाना रकम :** रु. 21,79,500.00 **निविदा फार्म और दस्तावेजों की लागत :** रु. 0.00/- **निविदा बंद करने की तिथि तथा समय : 19.02.2025 को 15.00 बजे तक है।** ई-टेंडरींग और आनलाइन सह-भागिता की सम्पूर्ण जानकारी उपरोक्त वैबसाइट **www.ireps.gov.in.** परदी गयी है। 45
असुरक्षित तथा अनाधिकृत रूप से रेल लाइन के पास कार्य करना दंडनीय अपराध है

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
इंडियन बैंक
एम पी हाऊसिंग बोर्ड शाखा, भोपाल
अनुच्छेद - IV { नियम-8 (1) } कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)
यथतः इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत से सेक्यूरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनानशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 13 (12) के नियम 8 एवं 9 के साथ प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग करते हुए खातों के सम्मुख अंकित दिनांक को देनदारों तथा जमानतदारों और संपत्ति मालिक को मांग सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसमें उन्हें नोटिस में अंकित राशि एवं उस पर ब्याज की राशि को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने हेतु निर्देशित किया गया है।
उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता ऋण चुकाने में असफल रहे है, अतः उधारकर्ताओं, जमानतदारों एवं बंधककर्ताओं एवं जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम 8 एवं 9 के साथ पठित एक्ट के धारा 13 (4) के तहत उन्ह